



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1180197

मंडला , दिनांक :-19/11/2018

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19

शिक्षण संस्था : Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 120

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 457560 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 544767

3. दिव्यांग भत्ता : 0 कुल : 1002327

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।

2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है को संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।



4. छात्रवृत्ति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा ।
5. छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी ।
6. शासकीय संस्थओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं । अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर नवीन प्रकरणों में जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों में आदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
7. छात्रवृत्ति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले में) को पो. मेट्रिक छात्रवृत्ति नियमों का भलीभांति ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है।
8. विद्यार्थी के वैधानिक खाता क्रमांक में प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्था में जमा करायी जायेगी । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जावेगी ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्रचार्य
शासकीय जगन्नाथ चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
महिला महाविद्यालय, मंडला (म.प्र.)

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला :- मंडला

मंडला , दिनांक :-19/11/2018

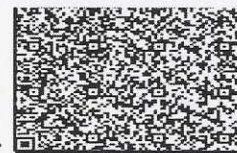
प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1180197 /

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
2. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला:- मंडला
3. प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla

प्रचार्य
शासकीय जगन्नाथ चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
महिला महाविद्यालय, मंडला (म.प्र.)

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला :- मंडला



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1180258

मंडला , दिनांक :-26/11/2018

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19

शिक्षण संस्था : Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 3600 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 3833

3.दिव्यांग भत्ता : 0 कुल : 7433

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।



4. छात्रवृत्ति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा ।
5. छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी ।
6. शासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं । अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर नवीन प्रकरणों में जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों में आदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
7. छात्रवृत्ति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले में) को पो. मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमों का भलीभांति ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है।
8. विद्यार्थी के वैधानिक खाता क्रमांक में प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्था में जमा कराया जायेगी । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जावेगी ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्राचार्य
शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा मंडला (म.प्र.)

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला :- मंडला

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1180258 /

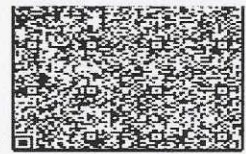
मंडला , दिनांक :-26/11/2018

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
2. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला:- मंडला
3. प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla

प्राचार्य
शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा मंडला (म.प्र.)

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला :- मंडला



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1180255

मंडला , दिनांक :-26/11/2018

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2018-19

शिक्षण संस्था : Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla

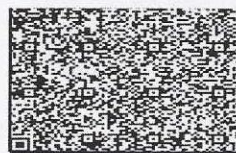
वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 19

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 71640 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 80857

3.दिव्यांग भत्ता : 0 कुल : 152497

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।



4. छात्रवृत्ति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा ।
5. छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी ।
6. शासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं । अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर नवीन प्रकरणों में जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों में आदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
7. छात्रवृत्ति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले में) को पो. मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमों का भलीभांति ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है।
8. विद्यार्थी के वैधानिक खाता क्रमांक में प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्था में जमा कराया जायेगी । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जावेगी ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्राचार्य
शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
मंडला महाविद्यालय, मण्डला (म.प्र.)

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला :- मंडला

मंडला , दिनांक :-26/11/2018

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1180255 /

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
2. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला:- मंडला
3. प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla

प्राचार्य
शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा (म.प्र.)

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला :- मंडला